न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या::– 40 / 2026

उनवान

1. गीता देवी पत्नी श्री मधुसूदन महाजन नि0 माणिक्यनगर भीलवाडा तह0 भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

1. विमला देवी पत्नी श्री राधेश्याम जाट नि0 रतनपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. सीता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाट नि0 रतनपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. कैलाश चन्द्र खटीक पुत्र श्री बालू लाल खटीक नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. श्याम लाल पुत्र श्री रूपा ढोली नि0 सियार तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. शिव लाल पुत्र श्री श्याम लाल ढोली नि0 सियार तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
6. संजु देवी पत्नी श्री सांवरलाल ढोली नि0 सियार तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
7. सांवरलाल पुत्र श्री श्याम लाल ढोली नि0 सियार तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज0)

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 12.05.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक **04.03.2026** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम **सियार पटवार हल्का आमलीगढ भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) की खसरा संख्या 535 रकबा 0.5184 है0,** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **09–03–2026** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या **01 लगायत 07** बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व ग्राम **सियार पटवार हल्का आमलीगढ भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) की खसरा संख्या 535 रकबा 0.5184 है0,** भूमि जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ